"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/1/6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 14 के उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक सक्षम अधिकारी, परिव्यय के रूप में वसूल की गई राशि को जमा एवं भुगतान करने हेतु, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 946/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक 05-06-2012 के पैरा 2 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खोले गए चालू बैंक खाता का उपयोग करेगा. ऐसा अधिकारी, जमा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण (रिकार्ड), अपने कार्यालय में पृथक से कैशबुक में भी संधारित करेगा.

(ख) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी, उस पर अधिरोपित की गई परिव्यय की राशि को ऊपर खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसार चालू बैंक खाते में जमा करेगा तथा बैंक द्वारा दिये गये प्रतिपर्ण की छायाप्रति के साथ उसकी सूचना सक्षम अधिकारी को भी देगा.

(घ) परिव्यय के भुगतान हेतु आवेदक को भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर पर उपगत शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यालय के आकस्मिक व्यय शीर्ष से की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 3-2/2011/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/2011/1/6 दिनांक 29-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

New Raipur, the 29th August 2013

NOTIFICATION

No. 3-2/2011/1-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For clause (a), (b) and (d) of sub-rule (1) of Rule 14, the following clauses shall be substituted, namely :—

(a) Each Competent Officer shall utilize the current bank account opened by the drawing and disbursing officer as per Para 2 of finance department circular No. 946/finance/B-4/4/2012 dated 05-06-2012, for depositing and withdrawal of amount collected as the cost. Such officer shall also maintain record of the amount deposited and withdrawn in a separate cash book in his office.

(b) Each Designated Officer shall deposit the amount of cost imposed on him in the current bank account, as mentioned in clause (a) above and shall also inform the Compentent Officer of the same along with the photocopy of counterfoil as given by the bank.

(d) For Payment of cost to the applicant, fees incurred on bank draft or money order shall be borne by Competent Officer from contingency expenditure head of the concerned office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. PISDA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.